प्रति,

माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी,
मंत्रीजल संसाधन, जनसंपर्क एवं संसदीय कार्य
मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल

विषय :- बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना को किसानों के हित में रद्द करने विषयक।

महोदय,

हम बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना प्रभावित किसान निम्न समस्याओं की और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है :-

1. बीना परियोजना हेतु हमारी भूमि अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन हमें आज तक इस परियोजना के संबंध में शासन द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है।
2. बीना परियोजना से प्रभावित किसानों को जानकारी दिये विना 2 जुलाई 2018 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सागर जिले के खुरई में इस परियोजना के तहत बनने वाले बांधों का भूमि पूजन कर दिया गया है।
3. बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के तहत मडिया बांध, चकरपुर बांध, देहरा बांध और सेमरा घाट बांध का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इन बांधों में से मडिया बांध में 62 गांवों, चकरपुर बांध में 10 गांवों, देहरा बांध में 6 तथा सेमरा घाट बांध में 8 गांवों कुल मिला कर 86 गांवों के किसानों की भूमि डूब में आ रही है।
4. इस परियोजना के तहत चकरपुर बांध के लिए भू अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत डूब प्रभावित किसानों को नोटिस जारी कर दिए गये हैं। डूब प्रभावित सभी किसानों ने लिखित में एक इंच भी भूमि नहीं देने का आवेदन देकर अपनी आपत्ति भू अर्जन अधिकारी को दर्ज करा दी है। इसके वावजूद भी अधिकारी बांध निर्माण के कार्य को बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं।
5. मडिया बांध में प्रभावित होने वाले 62 गाँव के किसानों में से सागर जिले के 21 गाँव एवं रायसेन जिले के 4 गाँव के किसानों की भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र में किया जा चुका है शेष गाँव की कार्यवाही प्रचलन में है।
6. जल संसाधन विभाग द्वारा मडिया बांध के निर्माण हेतु 15607.26 लाख का ऑनलाइन टेंडर जारी कर दिया गया है जिसकी अंतिम तिथि 17 जुलाई 2018 है।
7. मध्यप्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह राजपूत द्वारा 15 अप्रेल को सिंचाई विभाग की आपत्ति होने के वावजूद 14 करोड़ की सड़कों तथा 7 करोड़ के पुल का भूमि पूजन बेगमगंज तहसील के ग्राम झिरिया में किया गया तथा वहां उन्होंने मौखिक तौर पर किसानों से बातचीत में मडिया बांध के निर्माण से इंकार किया था।
8. मडिया बांध से लगभग 70 हजार की आबादी वाला बेगमगंज नगर भी डूब प्रभावित क्षेत्र में है। जिससे पूरे नगर के निवासी भयभीत एवं आशंकित हैं, लेकिन सिंचाई विभाग तथा शासन द्वारा आज तक तथ्यात्म जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।
9. बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना से 86 गाँव के 50 हजार से अधिक किसान सीधे प्रभावित हो रहे हैं। इन किसानों का कृषि के अलावा दूसरा अन्य कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था किये वगैर विस्थापन अनैतिक, गैरकानूनी एवं असंवैधानिक है।
10. मध्यप्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग के मंत्री के नाते हम आपसे अपेक्षा रखते है कि आप हमारे संवैधानिक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार की रक्षा हेतु न्यायोचित कार्यवाही करेंगे, ताकि हम 86 गाँव के 50 हजार से अधिक किसान उजड़ने से बच सकें।

Scanned by CamScanner

11. देश में भू अर्जन का जो कानून प्रभावी है उसमें सहमति लेना, सामाजिक एवं पर्यावर्णीय प्रभाव हेतु जनसुनवाई करना आवश्यक है, लेकिन मध्यप्रदेश शासन भू अर्जन संबंधी केन्द्रीय कानून को भी लागू करने को तैयार नहीं है। विभाग के मंत्री होने के नाते आपसे अनुरोध है कि आप कानून सम्मत कार्यवाही करने का कष्ट करें।

12. बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के डूब प्रभावित क्षेत्र की ग्राम सभाओं द्वारा इस परियोजना को रदद् करने के लिए प्रस्ताव पारित किये जा रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को लिखित सूचना दी जा चुकी है।

13. सिंचाई विभाग तथा शासन द्वारा सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है परन्तु हमारी जानकारी के अनुसार सर्वे में अधिकतर जमीनों को असिंचित बताया गया है। जबकि हमारी जमीनें पूर्णतय: सिंचित और बहुफसली हैं। सिंचाई विभाग द्वारा 2010 में सेमरी जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया जिससे जिन गाँव को सिंचाई का पानी उपलब्ध हो रहा है। उनमें से अधिकतर ग्राम बीना परियोजना के तहत डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। अर्थात जिन किसानों को सरकार द्वारा सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जा चुका है, उन्हें डूबा कर उजाड़ कर परियोजना बनाई जा रही है। इसके अलावा तुलसीपार जलाशय, कीरतपुर जलाशय, तथा उमरखोह जलाशय से सिंचित कृषि भूमि पूर्णत: डूब में आ रही है। यह पूरी तरह से सार्वजनिक धन का अपव्यय है। इससे यह भी मालूम पड़ता है कि यह परियोजना विना किसी सोच समझ के बनाई गई है।

14. बीना नदी पर चांदामऊ, खिरिया पराशर, बहेरिया घाट, मानकी सलैया, महुना गुर्जर सड़क, त्रिवेणी के पास, बेरखेडी घाट, चंदोरिया घाट, सोंठिया घाट, मानपुर घाट, सेमरी नदी व दुधई नदी में, पुल के नीचे सागर रोड पर, सेमरी पर सुमेर में एक वैराज, बेगमगंज जल आवर्धन, बाजार घाट सेमरी का डैम, कोलुआ घाट पर डैम, सलैया घाट वैराज, रहटवास तथा नैनविलास वैराज, देवलापुर के पास दुधई नदी मैं डेम, मडदेवरा के पास डैम, मडिया (सुमेर) के पास डेम तथा कोकलपुर तालाव इन सभी से किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिल रहा है। ये सभी जलाशय बीना परियोजना के मडिया बांध की डूब में आ रहे हैं। जिसके चलते न केवल शासन का करोंड़ों रुपया वर्वाद होगा, साथ ही सिंचित जमीने भी डूब जायेगी।

15. बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना में डूब के अंतर्गत वन क्षेत्र भी आ रहा है। मडिया एवं चकरपुर बांध में 593 हैक्टेयर वन क्षेत्र डूब रहा है। मडिया बांध के डूब क्षेत्र में 680 हेक्टेयर चरनोई भूमि तथा चकरपुर बांध में 68 हैक्टेयर चरनोई भूमि डूब में आ रही है। इस परियोजना में लगभग चालीस लाख हरे भरे पेड़ डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। जिनकी भरपाई आने वाले 50 वर्षों में भी नहीं की जा सकेगी।

16. परियोजना के पूरे डूब क्षेत्र में लगभग 300 मंदिर अथवा देवस्थान तथा 2 मस्जिदें भी आ रहे हैं।

अत: हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना सम्बन्धी सभी जानकारियां सार्वजनिक करने हेतु ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभाओं को उपलब्ध करने का निर्देश दें।

हम आपके माध्यम से सरकार से सभी तथ्यों के साथ श्वेत पत्र जारी करने एवं बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना को रद्द करने की मांग करते हैं।

दिनांक: 16 जुलाई 2018

निवेदक

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना प्रभावित किसान संघर्ष समिति (केन्द्रीय)

1) धनासिंह लोधी 7024224439 धनसिंह
(2) अमित यादव 9893226260
(3) अजय पटेरिया 9098619435
(4) गुपाल सिंह यादव
(5) कुबेर पटेल 9303454133
(6) प्रताप सिंह जाट 9165609563
(7) इस्माईल खान 7566527301
(8) राजेश यादव 9301549905
(9) अमजद हसन
(10) बालकिशन यादव 9174432901
(11) असलम खान 9301561414
(12) सारिक अली 9977424423
(13) बृजकिशोर तिवारी 9302731929
(14) मुन्ना भाई (दाना) 9827850056

Scanned by CamScanner

प्रकाशनार्थ-

86 गांव के 50 हजार किसानों का भविष्य अंधकार में किसानों ने की बीना परियोजना को रद्द करने की मांग।

भोपाल। बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना से डूब प्रभावित 86 गांव के प्रभावित किसानों द्वारा बनाई गई बीना परियोजना प्रभावित किसान संघर्ष समिति की संचालन समिति के किसान नेताओं एवं डॉ सुनीलम पूर्व विधायक मुलताई द्वारा प्रेस वार्ता को संयुक्त रूप से संबोधित किया गया।

प्रभावित किसानों ने कहा कि बीना परियोजना हेतु सागर एवं रायसेन जिले के 86 गांव के किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन किसानों को आज तक इस परियोजना के संबंध में शासन द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। परियोजना प्रभावित किसानों ने कहा कि परियोजना से डूब प्रभावित किसानों को कोई भी जानकारी दिये बगैर 2 जुलाई 2018 को मुख्यमंत्री के द्वारा सागर जिले के खुरई में सैंतीस अरब पैंतीस करोड़ नब्बे लाख की लागत की इस परियोजना के तहत बनने वाले बांधों का भूमि पूजन कर दिया गया है। जिसका असली मकसद किसानों का पानी छीन कर बीना रिफायनरी एवं बिजली कारखाने को देना है।

परियोजना प्रभावित किसान संघर्ष समिति के किसानों ने कहा कि बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के तहत मडिया बांध, चकरपुर बांध, देहरा बांध और सेमरा घाट बांध का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इन बांधों में से मडिया बांध में 62 गांवों, चकरपुर बांध में 10 गांवों, देहरा बांध में 6 तथा सेमरा घाट बांध में 8 गांवों कुल मिला कर 86 गांवों के किसानों की भूमि डूब में आ रही है। पीड़ित किसानों ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस परियोजना के तहत चकरपुर बांध के लिए भू अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत डूब प्रभावित किसानों को नोटिस जारी कर दिए गये हैं। डूब प्रभावित सभी किसानों ने लिखित में एक इंच भी भूमि नहीं देने का आवेदन देकर अपनी आपत्ति भू अर्जन अधिकारी को दर्ज करा दी है। इसके बावजूद भी अधिकारी बांध निर्माण के कार्य को बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं।

पीड़ित किसानों ने कहा कि मडिया बांध में प्रभावित होने वाले 62 गाँव के किसानों में से सागर जिले के 21 गाँव एवं रायसेन जिले के 4 गाँव के किसानों की भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र में किया जा चुका है शेष गाँव की कार्यवाही प्रचलन में है। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग द्वारा मडिया बांध के निर्माण हेतु 15607.26 लाख का ऑनलाइन टेंडर जारी कर दिया गया है जिसकी अंतिम तिथि 17 जुलाई 2018 है। डूब प्रभावित किसानों ने कहा कि सिलवानी क्षेत्र के विधायक एवं लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह राजपूत द्वारा 15 अप्रेल को सिंचाई विभाग की आपत्ति होने के बावजूद 14 करोड़ की सड़कों तथा 7 करोड़ के पुल का भूमि पूजन बेगमगंज तहसील के ग्राम झिरिया में किया गया तथा वहां उन्होंने मौखिक तौर पर किसानों से बातचीत में मडिया बांध के निर्माण से इंकार किया था। किसान संघर्ष समिति के किसानों ने कहा कि मडिया बांध से लगभग 70 हजार की आबादी वाला बेगमगंज नगर भी डूब प्रभावित क्षेत्र में है। जिससे पूरे नगर के निवासी भयभीत एवं आशंकित हैं, लेकिन सिंचाई विभाग तथा शासन द्वारा आज तक तथ्यात्म जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

किसानों ने कहा कि बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना से 86 गाँव के 50 हजार से अधिक किसान सीधे प्रभावित हो रहे हैं। इन किसानों का कृषि के अलावा दूसरा अन्य कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था किये बगैर विस्थापन अनैतिक, गैरकानूनी एवं असंवैधानिक है। परियोजना प्रभावित किसानों ने मध्यप्रदेश के राज्यपाल को पत्र लिख कर कहा है कि वे किसानों के संवैधानिक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार की रक्षा हेतु सरकार को आवश्यक निर्देश दें ताकि किसान उजड़ने से बच सकें।

डूब प्रभावित किसानों ने आरोप लगया कि देश में भू अर्जन का जो कानून प्रभावी है उसमें सहमति लेना, सामाजिक एवं पर्यावर्णीय प्रभाव हेतु जनसुनवाई करना आवश्यक है, लेकिन मध्यप्रदेश शासन भू अर्जन संबंधी केन्द्रीय कानून को भी लागू करने को तैयार नहीं है। किसानों ने राज्यपाल से संवैधानिक प्रमुख होने के नाते सरकार को कानून सम्मत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने की मांग की है। प्रभावित किसानों ने बताया कि बीना परियोजना के डूब प्रभावित क्षेत्र की ग्राम सभाओं द्वारा इस परियोजना को रदद्

Scanned by CamScanner

करने के लिए प्रस्ताव पारित किये जा रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को लिखित सूचना दी जा चुकी है। प्रभावित ग्रामीणों ने आरोप लगया कि सिंचाई विभाग तथा शासन द्वारा सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है परन्तु हमारी जानकारी के अनुसार सर्वे में अधिकतर जमीनों को असिंचित बताया गया है। जबकि किसानों की जमीनें पूर्णतय: सिंचित और बहुफसली हैं। सिंचाई विभाग द्वारा 2010 में सेमरी जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया जिससे जिन गाँव को सिंचाई का पानी उपलब्ध हो रहा है। उनमें से अधिकतर ग्राम बीना परियोजना के तहत डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। अर्थात जिन किसानों को सरकार द्वारा सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जा चुका है, उन्हें डूबा कर उजाड़ कर परियोजना बनाई जा रही है। इसके अलावा तुलसीपार जलाशय, कीरतपुर जलाशय, तथा उमरखोह जलाशय से सिंचित कृषि भूमि पूर्णत: डूब में आ रही है। यह पूरी तरह से सार्वजनिक धन का अपव्यय है। इससे यह भी मालूम पड़ता है कि यह परियोजना विना किसी सोच समझ के बनाई गई है।

प्रभावित किसानों ने कहा कि बीना नदी पर चांदामऊ, खिरिया पाराशर, बहेरिया घाट, मानकी सलैया, महूना गुर्जर सड़क, त्रिवेणी के पास, बेरखेडी घाट, चंदोरिया घाट, सौंठिया घाट, मानपुर घाट, सेमरी नदी व दुधई नदी में, पुल के नीचे सागर रोड पर, सेमरी पर सुमेर में एक वैराज, बेगमगंज जल आवर्धन, बाजार घाट सेमरी का डैम, कोलुआ घाट पर डैम, सलैया घाट वैराज, रहटवास तथा नैनविलास वैराज, देवलापुर के पास दुधई नदी में डेम, मडदेवरा के पास डैम, मडिया (सुमेर) के पास डेम तथा कोकलपुर तालाव इन सभी से किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिल रहा है। ये सभी जलाशय बीना परियोजना के मडिया बांध की डूब में आ रहे हैं। जिसके चलते न केवल शासन का करोड़ों रुपया वर्वाद होगा, साथ ही सिंचित जमीने भी डूब जायेगी। किसानों ने कहा कि बीना परियोजना में डूब के अंतर्गत वन क्षेत्र भी आ रहा है। मडिया एवं चकरपुर बांध में 593 हैक्टेयर वन क्षेत्र डूब रहा है। मडिया बांध के डूब क्षेत्र में 680 हेक्टेयर चरनोई भूमि तथा चकरपुर बांध में 68 हैक्टेयर चरनोई भूमि डूब में आ रही है। इस परियोजना में लगभग चालीस लाख हरे भरे पेड़ डूब क्षेत्र में आ रहे है। जिनकी भरपाई आने वाले 50 वर्षों में भी नहीं की जा सकेगी।

प्रभावित किसानों ने कहा कि परियोजना के पूरे डूब क्षेत्र में लगभग 300 मंदिर अथवा देवस्थान तथा 2 मस्जिदें भी आ रहे हैं साथ ही मड़िया से सुमेर तक का सागर भीपाल सड़क मार्ग भी पूरी तरह डूब में आ रहा है। डूब प्रभावित किसानों ने सरकार से को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना सम्बन्धी सभी जानकारियां सार्वजनिक करने हेतु ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभाओं को उपलब्ध करने की मांग करते हुए सरकार से सभी तथ्यों के साथ श्वेत पत्र जारी करने एवं बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना को रद्द करने की मांग की।

डॉ सुनीलम (पूर्व विधायक)

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना प्रभावित किसान संघर्ष समिति (केन्द्रीय)

अभय पटेरिया मो० 9098619435

कुबेर कुर्मी मो 9303454133

मुअसलम खाँ मो 9301561414

इस्महील खाँन मो० 7566527300

धनसींग लोधी मो० 8085829531

यशपाल यादव मो० 8269220934

अमित यादव मो० 9893226260

राजेश यादव मो 9301549905

अमजद खाँन मो० 8889027045

शारिक खान 9971424423

ब्रजकिशोर तिवारी 9302731929

प्रतापसींग जाट 9165609563

मुन्ना दाना जी 9827850056

बालकिशन यादव 9174432901

Scanned by CamScanner

प्रति,

श्रीमान मुख्य सचिव महोदय,
मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय
बल्लभ भवन, भोपाल

विषय :- बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना को जनहित में रद्द करने विषयक।

महोदय,

हम बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना प्रभावित किसान निम्न समस्याओं की और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है :-

1. बीना परियोजना हेतु हमारी भूमि अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन हमें आज तक इस परियोजना के संबंध में शासन द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है।
2. बीना परियोजना से प्रभावित किसानों को जानकारी दिये विना 2 जुलाई 2018 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सागर जिले के खुरई में इस परियोजना के तहत बनने वाले बांधों का भूमि पूजन कर दिया गया है।
3. बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के तहत मडिया बांध, चकरपुर बांध, देहरा बांध और सेमरा घाट बांध का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इन बांधों में से मडिया बांध में 62 गांवों, चकरपुर बांध में 10 गांवों, देहरा बांध में 6 तथा सेमरा घाट बांध में 8 गांवों कुल मिला कर 86 गांवों के किसानों की भूमि डूब में आ रही है।
4. इस परियोजना के तहत चकरपुर बांध के लिए भू अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत डूब प्रभावित किसानों को नोटिस जारी कर दिए गये हैं। डूब प्रभावित सभी किसानों ने लिखित में एक इंच भी भूमि नहीं देने का आवेदन देकर अपनी आपत्ति भू अर्जन अधिकारी को दर्ज करा दी है। इसके वावजूद भी अधिकारी बांध निर्माण के कार्य को बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं।
5. मडिया बांध में प्रभावित होने वाले 62 गाँव के किसानों में से सागर जिले के 21 गाँव एवं रायसेन जिले के 4 गाँव के किसानों की भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र में किया जा चुका है शेष गाँव की कार्यवाही प्रचलन में है।
6. जल संसाधन विभाग द्वारा मडिया बांध के निर्माण हेतु 15607.26 लाख का ऑनलाइन टेंडर जारी कर दिया गया है जिसकी अंतिम तिथि 17 जुलाई 2018 है।
7. मध्यप्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह राजपूत द्वारा 15 अप्रेल को सिंचाई विभाग की आपत्ति होने के वावजूद 14 करोड़ की सड़कों तथा 7 करोड़ के पुल का भूमि पूजन बेगमगंज तहसील के ग्राम झिरिया में किया गया तथा वहां उन्होंने मौखिक तौर पर किसानों से बातचीत में मडिया बांध के निर्माण से इंकार किया था।
8. मडिया बांध से लगभग 70 हजार की आबादी वाला बेगमगंज नगर भी डूब प्रभावित क्षेत्र में है। जिससे पूरे नगर के निवासी भयभीत एवं आशंकित हैं, लेकिन सिंचाई विभाग तथा शासन द्वारा आज तक तथ्यात्म जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।
9. बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना से 86 गाँव के 50 हजार से अधिक किसान सीधे प्रभावित हो रहे हैं। इन किसानों का कृषि के अलावा दूसरा अन्य कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था किये वगैर विस्थापन अनैतिक, गैरकानूनी एवं असंवैधानिक है।
10. मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव के नाते हम आपसे अपेक्षा रखते है कि आप हमारे संवैधानिक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार की रक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे, ताकि हम उजड़ने से बच सकें।
11. देश में भू अर्जन का जो कानून प्रभावी है उसमें सहमति लेना, सामाजिक एवं पर्यावर्णीय प्रभाव हेतु जनसुनवाई करना आवश्यक है, लेकिन मध्यप्रदेश शासन भू अर्जन संबंधी केन्द्रीय कानून को भी लागू करने को तैयार नहीं है। प्रदेश के मुख्य सचिव के नाते आपसे अनुरोध है कि आप कानून सम्मत कार्यवाही करने की कार्यवाही हेतु करें।

Scanned by CamScanner

12. बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के डूब प्रभावित क्षेत्र की ग्राम सभाओं द्वारा इस परियोजना को रदद् करने के लिए प्रस्ताव पारित किये जा रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को लिखित सूचना दी जा चुकी है।

13. सिंचाई विभाग तथा शासन द्वारा सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है परन्तु हमारी जानकारी के अनुसार सर्वे में अधिकतर जमीनों को असिंचित बताया गया है। जबकि हमारी जमीनें पूर्णतय: सिंचित और बहुफसली हैं। सिंचाई विभाग द्वारा 2010 में सेमरी जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया जिससे जिन गाँव को सिंचाई का पानी उपलब्ध हो रहा है। उनमें से अधिकतर ग्राम बीना परियोजना के तहत डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। अर्थात जिन किसानों को सरकार द्वारा सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जा चुका है, उन्हें डूबा कर उजाड़ कर परियोजना बनाई जा रही है। इसके अलावा तुलसीपार जलाशय, कीरतपुर जलाशय, तथा उमरखोह जलाशय से सिंचित कृषि भूमि पूर्णत: डूब में आ रही है। यह पूरी तरह से सार्वजनिक धन का अपव्यय है। इससे यह भी मालूम पड़ता है कि यह परियोजना विना किसी सोच समझ के बनाई गई है।

14. बीना नदी पर चांदामऊ, खिरिया पराशर, बहेरिया घाट, मानकी सलैया, महुना गुर्जर सड़क, त्रिवेणी के पास, बेरखेडी घाट, चंदोरिया घाट, सोंठिया घाट, मानपुर घाट, सेमरी नदी व दुधई नदी में, पुल के नीचे सागर रोड पर, सेमरी पर सुमेर में एक वैराज, बेगमगंज जल आवर्धन, बाजार घाट सेमरी का डैम, कोलुआ घाट पर डैम, सलैया घाट वैराज, रहटवास तथा नैनविलास वैराज, देवलापुर के पास दुधई नदी मैं डेम, मडदेवरा के पास डैम, मडिया (सुमेर) के पास डेम तथा कोकलपुर तालाव इन सभी से किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिल रहा है। ये सभी जलाशय बीना परियोजना के मडिया बांध की डूब में आ रहे हैं। जिसके चलते न केवल शासन का करोंड़ों रुपया वर्वाद होगा, साथ ही सिंचित जमीने भी डूब जायेगी।

15. बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना में डूब के अंतर्गत वन क्षेत्र भी आ रहा है। मडिया एवं चकरपुर बांध में 593 हैक्टेयर वन क्षेत्र डूब रहा है। मडिया बांध के डूब क्षेत्र में 680 हेक्टेयर चरनोई भूमि तथा चकरपुर बांध में 68 हैक्टेयर चरनोई भूमि डूब में आ रही है। इस परियोजना में लगभग चालीस लाख हरे भरे पेड़ डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। जिनकी भरपाई आने वाले 50 वर्षों में भी नहीं की जा सकेगी।

16. परियोजना के पूरे डूब क्षेत्र में लगभग 300 मंदिर अथवा देवस्थान तथा 2 मस्जिदें भी आ रहे हैं।

अत: हमारा आपसे आग्रह है कि आप बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना सम्बन्धी सभी जानकारियां सार्वजनिक करने हेतु ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभाओं को उपलब्ध करने का निर्देश दें।

हम आपके माध्यम से सरकार से सभी तथ्यों के साथ श्वेत पत्र जारी करने एवं बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना को रद्द करने की मांग करते हैं।

दिनांक: 16 जुलाई 2018

निवेदक

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना प्रभावित किसान संघर्ष समिति (केन्द्रीय)

(1) धनसिंह लोधी 7024222439
(2) अमित यादव 9893226260
(3) अभय पटैरिया 9098619435
(4) गोपाल सिंह यादव 8269220434
(5) कुबेर पटेल 9303454133
(6) प्रताप सिंह जाट 9165609563
(7) इस्माईल खान 7566527300
(8) राजेश यादव
(9) अमजद हसन 8889027045
(10) बालकिशन यादव 9174432901
(11) असलम खान 9301561414
(12) सारिक अली 9977424423
(13) बृजकिशोर तिवारी (9302731929)
(14) मुन्ना भाई (दान)

Scanned by CamScanner